

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट खण्डेला
 यालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट खण्डेला

जमा-नाम बनाम श्रीमिथारी कंगो


मुकदमा नं. प्रॉपक 136 LRAet मुकदमा नं. 55 सन् 2019

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
119	<p>प्राथी की भोटे वकील श्री सुभाषिनी ने प्रॉपक पेअ रिफर्ट लरिस्त ली गयी। प्रॉपक दर्ज राठिठ रिफर्ट प्राथीगण की जरूरत गोठिस्त तम्ब रिफर्ट जाये रिफिट डिमांड 25/11/19 को पेअ हो।</p> <p>25/11/19 वकील वाडी दामिरे। प्राथी लरिस्त राड की भोटे ल वकिलगण क सहायि फल वकील श्री रिफिट प्रकष न पेअ रिफिट जो आठिस्त रिफिट रिफिट जाये पठे साठ्य कोरे पर रिफिट वाले तम्बी प्रतिकारी कर। एतु डिमांड 25/11/19 को पेअ हो।</p>	
119	<p>पनावली पेअ दुडे वकील प्राथी दामिरे। इएठ वकील प्रकष पठकारान हुनी गयी। प्राथी प्रिठिठ नं 2055, 2060, 2663, 2666, रिफिट-4 ररर 0.19 एठ तथा प्रिठिठ नं 2120, 2305, 2306/2 तठ ग्राम कावेट में प्रिठिठ गाय</p>	

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

जगदीश पुत्र सुधारास के उक्त जगन्नाथ
 पुत्र सुधारास कुलत करवाना पाएता है।
 जिले के समक्ष में ग्राम पंचायत कागद का
 का प्रमाण पत्र व सदखत/सालाना/माईपीमा
 सदखती पत्र पेश किया है। जिले काही
 के कथन साबित होते हैं। अतः जज का
 फाउण्ड अध्याय 136 LP Act एकीकृत
 किया जाव आदेश दिया जाता है कि:-
आदेश



भूमि ख० न० 2055, 2660, 2663, 2666
 किरा 4 बरका 0.19 तथा भूमि ख० न०
 एके 2120, 2305, 2305/2 तब ग्राम कमे
 तदमीम खण्डेला जिला सीकर राजस्थान
 के राजा कु विकी के पुत्री का जगदीश
 पुत्र सुधारास के स्थान पर जगन्नाथ
 पुत्र सुधारास कुलत किया जाके तदमीम
 खण्डेला का पालना हेतु लक्ष्मीजानी
 ही पचावली कराम सुमा (धरेल नगर
 के कमे हे कडे तदमीम दाखिल
 दमा है।

(Signature)
 26.11.19
 (बजावती सिंह)

RMS
 उपजज अधिकारी
 खण्डेला (सीकर)